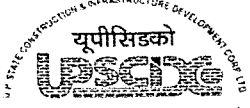


यू0पी0 स्टेट कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0

टी0सी0 46, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।



पत्र संख्या-4227 /7-5(4)/नि0/सा0 पंजी0/2023-2024 दिनांक 13, अक्टूबर, 2026

कार्यालय आदेश

मेसर्स आर0सी0बी0 इन्फ्राकॉन प्रा0लि0 द्वितीय तल, वीलेज हाजीपुर, मेन रोड निकट पी0न0बी0 बैंक, सेक्टर-104, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश (निदेशक- रोहित अवस्थी एवं नम्रता अवस्थी) द्वारा निगम में 'ए' प्लस श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने हेतु दिनांक 27.06.2023 को आवेदन किया गया था, जिस हेतु विभागीय अभिलेखों के अनुसार फर्म द्वारा समय-समय पर मुख्यतः निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे :-

1. चरित्र प्रमाण-पत्र।
2. वित्तीय प्रपत्र : हैसियत प्रमाण-पत्र, कम्पनी का पैन कार्ड, जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट एवं ई0पी0एफ0 पंजीकरण।
3. National Co-Operative Construction and Development Federation of India Limited (NFCD) द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र के निर्माण कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्रांक-324/एन0सी0सी0डी0एफ0/कार्य-48/74 दिनांक 24.06.2022
4. निगम में सगा संबंधी न होने, ब्लैकलिस्ट न होने तथा किसी एफ0आई0आर0/मुकदमें के लम्बित न होने सम्बन्धी शपथ-पत्र।

उक्त विचारोपरान्त यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश में सिविल कार्य हेतु ठेकेदारी के 'ए' प्लस श्रेणी के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये निगम के पत्र संख्या- 8409 दिनांक 02.02.2024 द्वारा मेसर्स आर0सी0बी0 इन्फ्राकॉन प्रा0लि0 का पंजीकरण किया गया था, जिससे उपरान्त निगम द्वारा A+ श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या-1234/सिविल कार्य/'ए' प्लस श्रेणी/2024 दिनांक 02.02.2024 जारी किया गया था। कंपनी के पुनः रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु दिनांक 07.01.2025 को आवेदन किया गया था, जिस हेतु फर्म द्वारा मुख्यतः निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे :-

1. निगम द्वारा पूर्व में निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
2. वित्तीय प्रपत्र : हैसियत प्रमाण-पत्र, कम्पनी का पैन कार्ड, जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट एवं ई0पी0एफ0 पंजीकरण।
3. अधिशासी अभियन्ता, यूपीसिडको, कौशाम्बी/प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र।
4. निगम में सगा संबंधी न होने, ब्लैकलिस्ट न होने तथा किसी एफ0आई0आर0/मुकदमें के लम्बित न होने सम्बन्धी शपथ-पत्र।

उक्त के क्रम में निगम के पत्र संख्या-603/7-5 (4)/नि0/पंजी0/नवीनीकरण/2024 दिनांक 28 अप्रैल, 2025 द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करते हुये निम्नवत उल्लिखित किया गया था:- "यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 में, M/s RCB Infracons Private Limited, Second Floor, Village Hazipur, Main Road Near PNB Bank, Sector 104, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh (Director: Rohit Awasthi & Namrata Awasthi) को प्रदेश में सिविल कार्य हेतु श्रेणी 'ए' प्लस में पंजीकरण करते हुये पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1234 दिनांक 02.02.2024 जारी किया गया था, जो कि 01 वर्ष हेतु मान्य था। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त फर्म के पंजीकरण का नवीनीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिये इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि सम्बन्धित फर्म द्वारा नवीनीकरण हेतु जो प्रपत्र यथा चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0,

1- निगम द्वारा नोटिस पत्रांक संख्या-5367/7-5(4)/नि0/सा0/पंजी0/2023-2024 दिनांक 03.12.2025 प्रेषित करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि गलत तथ्यों पर प्राप्त किये गये A+ श्रेणी का पंजीकरण/नवीनीकरण को क्यों न निरस्त कर दिया जाय और फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही संस्थित कर दी जाये। यदि निर्धारित अवधि में आप का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यथोचित निर्णय ले लिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप की होगी।

2-निगम द्वारा कारण बताओ नोटिस पत्रांक संख्या-5526/7-5(4)/नि0/सा0/पंजी0/2023-2024 दिनांक 12.12.2025 प्रेषित किया गया था, जिसमें फर्म द्वारा फर्जी एवं कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर निगम से प्राप्त किये गये A+ श्रेणी का पंजीकरण/नवीनीकरण को निरस्त करते हुए फर्म क्यों न ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय साथ ही आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही क्यों न कर दी जाय। उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.12.2025 तक फर्म स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि तक आप द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो फर्म के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, मे0 आर0सी0बी0 इन्फ्राकॉन प्रा0लि0 द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 19.12.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यता यह उल्लेख किया गया है कि:-

अनुभव प्रमाण-पत्र के सदर्भ में:- “मेरे द्वारा निगम में रजिस्ट्रेशन हेतु जो अनुभव प्रमाण-पत्र दिया है वह फर्जी है ऐसा बताया गया है। परन्तु मेरे द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है वह अनुभव प्रमाण-पत्र पत्रांक संख्या-17/अधि0अभि0/ प्रयागराज/2023-24 दिनांक 31, मई, 2023 यूपीसिडको, प्रयागराज द्वारा जारी किया गया जिसका सत्यापन प्रयागराज द्वारा कराया जा सकता है व दूसरा अनुभव प्रमाण-पत्र R.cube Infratech pvt.ltd Ref.No. RCIPL/2022-23/47 दिनांक 22.07.2022 व RCIPL/2002-23/45 दिनांक 20.07.2022 है। वह सलग्न किया गया है।”

FIR के सदर्भ में:- “अवगत कराना है जो मेरे (Rohit Awasthi) पर FIR लगी थी उसकी FR भी 19.08.2022 को लग गयी व शिकायतकर्ता के द्वारा protest prition लगायी गयी उसके बाद कोर्ट ने Examin भी किया व कोर्ट ने उस Evidence को महत्वपूर्ण नहीं माना व सम्मन नहीं किया व पुनः शिकायतकर्ता के द्वारा अपील करने पर protest prition को खारिज भी कर दिया अतः मैंने शपथ-पत्र में FIR का जिक्र नहीं किया व D.M (Noida) के द्वारा भी जाँच करने के बाद Certificate issue किये गये। क्योंकि FIR में FR लगते Police/Court के द्वारा मैं किसी तरह का Suspect/अभियुक्त नहीं माना गया, अतः मैंने शपथ-पत्र में FIR का जिक्र नहीं किया।”

फर्म द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं :-

- 1- **साक्ष्यों का अभाव:** फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब में उनके विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों के खंडन हेतु कोई भी वैधानिक साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- 2- **दस्तावेजों में हेराफेरी:** फर्म द्वारा पंजीकरण हेतु वांछित अनुभव प्रमाण-पत्रों हेतु तथ्यों का गोपन कर जाली एवं कूटरचित (Forged & Fabricated) अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया।
- 3- **नियमों का उल्लंघन:** उक्त फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ही फर्म ने A+ श्रेणी का पंजीकरण (सं०-1234, दिनांक 02.02.2024) एवं नवीनीकरण (दिनांक 28.04.2025) प्राप्त किया, जो कि विभाग की अनुबंध नियमावली एवं दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत गंभीर अपराध है।

It is submitted that, in connection with the Experience Certificate, the said certificate of Executive Engineer, Mr. R.K. Srivastava (UPSIDCO Prayagraj) is attached with the relevant registration records. The relevant letter is as follows:

Letter No. 18/RCB/SRN-H/PRJ/23-24 dated 21.12.2023. (Copy attached)

2. Regarding the FIR and the Final Report/

It is further submitted that an FIR bearing FIR No. 0195 dated 19.08.2022 had been registered against me. Subsequently, FR No. 108/2022 dated 16.09.2022 was submitted in the said matter.

The Hon'ble Court also passed an order dated 16.09.2022, pursuant to which the said FIR was closed/cancelled. A copy of the relevant order/document is enclosed herewith for ready reference.

It is therefore, submitted that the allegations being raised on the basis of the said FIR are misleading and do not reflect the subsequent legal position.

3. Character Certificate

It is further submitted that the Character Certificate of RCB Infracons Pvt. Ltd., issued by the D.M. Office, Noida, was also duly issued on 27.01.2023. & again issued on. 27/03/2026 copy attached

The said certificate can also be verified online from the concerned authority/official records.

मेसर्स आर०सी०बी० इन्फ्राकॉन प्रा०लि० की ओर से निदेशक श्री रोहित अवस्थी द्वारा मौखिक रूप से यह कहा गया कि फर्म द्वारा A+ श्रेणी का पंजीकरण हेतु वांछित अनुभव के लिए National Co-Operative Construction and Development Federation of India Limited द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र के निर्माण कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्रांक-324/एन०सी०सी०डी०एफ०/कार्य-48/74 दिनांक 24.06.2022 नहीं दिया गया है अपितु पत्रांक सख्या-17/अधि०अभि०/प्रयागराज/2023-24 दिनांक 31 मई, 2023 जो कि निगम के प्रयागराज इकाई के प्रभारी अधि० अभि० द्वारा निर्गत किया गया है, को पत्र संख्या-18/RCB/SRN-H/PRJ/23-24 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से अनुभव हेतु दिया गया है, जबकि फर्म द्वारा बैठक के दौरान उपलब्ध कराये गये पत्र संख्या-358 दिनांक 24.09.2026 में यह पत्र संलग्न नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 19.12.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अनुभव प्रमाण-पत्र निगम की सम्बन्धित फर्म के प्रश्नगत रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों से भिन्न है। फर्म ने अपने पत्र संख्या-18 दिनांक 21.12.2023 द्वारा National Co-Operative Construction and Development Federation of India Limited (NFCD) द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र के निर्माण कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्रांक-324/एन०सी०सी०डी०एफ०/कार्य-48/74 दिनांक 24.06.2022 जिसके पश्चात फर्म का रजिस्ट्रेशन उक्त अनुभव के आधार पर, जिसका प्रार्थना-पत्र फर्म द्वारा दिनांक 27.06.2023 को दिया गया था, का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या-8409 दिनांक 02.02.2024 को निर्गत किया गया।

फर्म द्वारा बैठक दिनांक 29.09.2026 को प्रस्तुत स्पष्टीकरण संख्या-1 Regarding the Experience Certificate में प्रस्तुत तथ्यों का खंडन - निगम के जाचोंपरान्त उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों तथा प्रश्नगत अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में National Co-Operative Construction and Development Federation of India Limited से प्राप्त स्पष्टीकरण पत्र संख्या-119 दिनांक 09.12.2025 से यह स्पष्ट है कि निगम में A+ श्रेणी के पंजीकरण के संबंध में वांछित अनुभव प्रमाण-पत्र को फर्म द्वारा पत्र संख्या-18 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से National

मेसर्स आर०सी०बी० इन्फ्राकॉन प्रा०लि० की ओर से निगम के साथ किये गये अनैतिक कृत्य धोखाधड़ी एवं कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किये गये A+ श्रेणी का पंजीकरण/नवीनीकरण निगम के ठेकेदारी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, जो कि फर्म को काली सूची में डालने का पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

वर्तमान प्रकरण में स्थापित तथ्यों के आधार पर, कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्रों एवं फर्म के निदेशक की ओर से दिया गया झूठा शपथ-पत्र का उपयोग कर पंजीकरण प्राप्त करना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

चूंकि यह निगम उ०प्र० शासन के अधीन आने वाली एक निर्माण संस्था है, जोकि जनपयोगी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से लेकर अन्य सरकारी निर्माण कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं गुणवत्तापूर्वक कराये जाने के लिये आबद्ध है। किसी भी फर्म के कूटरचित, फर्जी प्रपत्रों के आधार पर पंजीकरण/नवीनीकरण स्वीकार नहीं है।

अतः निगम के ठेकेदारी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु उल्लिखित नियम, शर्तों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा साथ ही उपरोक्तानुसार स्थापित तथ्यों के आधार पर मेसर्स आर०सी०बी० इन्फ्राकॉन प्रा०लि० द्वारा असत्य, धोखाधड़ी एवं कूटरचित प्रपत्रों/अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किये गये A+ श्रेणी का पंजीकरण/नवीनीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, इस आदेश की तिथि से प्रभावी से अगले 05 वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स आर०सी०बी० इन्फ्राकॉन प्रा०लि० को काली सूची में डाला जाता है। काली सूची में रखे जाने की अवधि के दौरान, फर्म निगम में पंजीकरण, सूचीबद्धता/इम्पैनलमेंट, तथा निविदाओं व संविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु पात्र नहीं होगी।

(संजीव सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री रोहित अवस्थी, निदेशक, मेसर्स आर०सी०बी० इन्फ्राकॉन प्रा०लि०, टाइप-4, प्लैट न०-006, लोटस पनचे, सेक्टर-110 नोएडा, 201304 उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
3. मुख्य अभियन्ता (पूर्व), यूपीसिडको मुख्यालय।
4. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम), यूपीसिडको मुख्यालय।
5. प्र० मुख्य अभियन्ता (मध्य), यूपीसिडको मुख्यालय।
6. प्र० मुख्य अभियन्ता (विद्युत), यूपीसिडको मुख्यालय।
7. श्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर, कम्प्यूटर अनुरक्षक, यूपीसिडको, मुख्यालय को निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. प्र० कार्मिक प्रबन्धक, यूपीसिडको, मुख्यालय को निर्देश से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के अधीन आने वाली समस्त निर्माण संस्थाओं को उक्त आदेश को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(संजीव सिंह) 13/10/20
प्रबन्ध निदेशक